तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है/ दौरे पर है/मीटिंग में है। अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 29/6/22 को पेश हो। रीडर	
29/06/22	आज यह पत्रावली पेश हुई / वकील उभय पक्षकारान उप० आये / प्रार्थना पत्र 07 R.11 जा. दी. पर वकुलाए की बहस दर० सुनी गई / वकील प्रार्थी / प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि विवादित आराजी ख० नं० 153, 157, 158, 159, 160 वाके ग्राम लक्ष्मणपुर तहसील मुण्डावर की दावा दायरी से पूर्व एक वर्ष पूर्व कार्यवाही शुरू हो चुकी है / वादी द्वारा अवाप्त हुआ कि बाबत व कामना आराजी का वाद पेश किया है एवं आराजी डी एम आई सी द्वारा अवाप्त की जा चुकी है इस कारण इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी नहीं है निवेदन करते हुए वादी के वाद को मय खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन रहा / जिसके बाबत जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी / वादी का सारतः रहा कि आराजी अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है दावा इस्तकरारहक है जिसमें हक तय होना है / इसलिए आदेश 7 नियम 11 जा. दी. लागू नहीं होती है प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर विरुद्ध कानून पेश किया है जो काबिल खारीज है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है पूर्व में भी इसी तरह का प्रार्थना पत्र स्थायी जामाल की ओर से पेश किया था आदि-आदि अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. मय खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन रहा / वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र बाबत बहस दर० सुनी गई / दोरान बहस वकील प्रार्थी / प्रतिवादी के अपने प्रार्थना पत्र के जिक्र [illegible] हुए अंकित कथन किया कि विवादित आराजी [illegible] से पूर्व में अवाप्ती कार्यवाही हो चुकी है तथा अप्रार्थी / वादी का अस्तगासा तकासमा आराजी का प्रस्तुत है जिस बाबत वाद पत्र एवं वाद पत्र के संशोधित पैरा सं० 14 (अ) में फिर [illegible] में अंकित किया है विवादित आराजी खातेदारी आराजी है आराजी का कोई किस्म एवं [illegible] तकासमा।	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj B
Date: 2022.10.12 17:59:22
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करवाना चाहते है खाता व लगान राजस्व रिकार्ड
में अमल किया जावे। जब ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विवादित
आराजीयात ही डी एम आई सी द्वारा अवाप्त की
जा चुकी है तो तकासमा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती
है तथा अप्रार्थी/वादी ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र के दावा
इस्तगासा रद्द के रोके जाने का प्रतिउत्तर गलत पेश किया
है। चूंकि इसी प्रकार वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब
प्रार्थना पत्र के तर्कों को दोहराते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को मय खर्चा खारिज किये जाने
का अनुरोध किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर
प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.
डी. को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी
का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र
स्वीकार की स्थिति में वादी के वाद को अग्रिम कार्यवाही [illegible] खारिज
इस्तगासा रद्द करवाने [illegible]
किया जाता है। (पक्षकार) [illegible]
से कहा [illegible]
[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०